सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

भाद्र 04, शुक्रवार, शाके 1944-अगस्त 26, 2022
Bhadra 04, Friday , Saka 1944- August 26, 2022

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

नगरीय विकास विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 25, 2022

संख्या प.11(29)नविवि/कपासन/2022 :- राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर को कपासन (जिला-चित्तौडगढ़) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2043 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है।

राजस्व ग्रामों के नाम

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम हिन्दी में	राजस्व ग्राम का नाम अंग्रेजी में
1.	कपासन	KAPASAN
2.	भोपालखेडा	BHOPALKHERA
3.	बुद्धाखेड़ा	BUDHAKHERA
4.	रण्डियारडी	RANDIYARDI
5.	सण्डियारडा	SANDIYARDA
6.	मुंगाना (भोपाल सागर तालाब से निकलने वाले नाले तक का पूर्वी भाग)	MUNGANA (Up to Eastern part of the drain coming out of Bhopal Sagar Talab)
7.	विनोदाखेड़ा	VINODAKHEDA
8.	ताराखेड़ी	TARAKHEDI
9.	दामाखेड़ा	DAMAKHEDA

राज्यपाल की आज्ञा से,

नवनीत कुमार,
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।